जमना बनाम रामेश्वर मु.न. 69/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5.12.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाबत बहस दिनांक 23.12.24 को पेश हो।	
23.12.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाबत बहस दिनांक 17.1.25 को पेश हो।	
17.1.25 Noted	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वकील अपीलांट को बहस हेतु समय चाहा। अवसर दिया जाए। बाबत बहस दिनांक 3.2.25 को पेश हो।	
3.2.25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय आज [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 21.2.25 को पेश हो।	
21.2.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 17.3.25 को पेश हो।	
17.3.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 4.4.25 को पेश हो।	
4.4.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.4.25 को पेश हो।	
16.4.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 69 / 2023

1 जमना देवी पुत्री भींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज. हाल पत्नी हणमानाराम जाति जाट निवासी ग्राम ताजसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर राज.।

2 केशरी देवी मृत

2/1 रामदेवाराम

2/2 जगदीश प्रसाद

2/3 बीरबल सिंह

2/4 कमला देवी पुत्रगण एवं पुत्री स्व. केशर देवी व लक्ष्मणराम जाति जाट निवासीगण ग्राम श्यानण तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू राज.।

3 सुरजी देवी पुत्री भींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज. हाल पत्नी रानारायण जाति जाट निवासी ग्राम तोलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू राज.।

4 गुमानी देवी पुत्री भींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज. हाल पत्नी लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम देवास तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

5 भंवरी देवी पुत्री भींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज. हाल पत्नी रामूराम जाति जाट निवासी ग्राम कुसुमदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चुरू राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 रामेश्वर पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।

2 पूरी देवी उर्फ पूर्णी देवी पत्नी स्व. रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.

3 मनफूल पुत्र रामलाल

4 कुरड़ाराम पुत्र रामलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

5 गिरधारी पुत्र रामलाल
6 पवन कुमार पुत्र रामलाल
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
7 सुभाषचन्द्र पुत्र सोनी देवी व नत्थूराम जाति जाट निवासी उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
8 फूलचन्द पुत्र सोनी देवी व नत्थूराम जाति जाट निवासी उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
9 सावित्री पुत्री सोनी देवी व नत्थूराम जाति जाट निवासी उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
10 फूलाराम पुत्र छोटी देवी व लिछमणराम जाति जाट निवासी ग्राम देवास तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर राज.।
11 मनभरी देवी पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
12 मांगलाल पुत्र लखुराम जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
13 प्रबन्धक बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण शेखावटी बैंक शाखा बाटड़ानाऊ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राज.।
15 हल्का पटवार हल्का दांतरू तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
16 तहसीलदार व उपपंजीयक तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
17 गीता देवी उर्फ भंवर पुत्री नारायणराम पत्नी कुशलसिंह जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज. हाल आबाद ग्राम विजयपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
18 सुभिता देवी पुत्री नारायणराम पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज. हाल आबाद ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 24.07.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर पीठासीन अधिकारी दयानन्द रूयल आरएएस द्वारा बउनवानी प्रकरण संख्या 08/2019 उनवानी जमना देवी आदि बनाम रामेश्वर आदि।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

उपस्थिति :

1. श्री जसवंत भूरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फुलचन्द थालौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 16/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2019 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 395 का नया खसरा नम्बर 533, खसरा नम्बर 397 का नया खसरा नम्बर 534, खसरा नम्बर 381 का नया खसरा नम्बर 482 वाके ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी/अपीलान्ट को उक्त आराजियात उसके पिता भींवाराम के हिस्से से विरासतन प्राप्त हुई है जिस पर अपीलान्टस का पूर्ण हक अधिकार है रेस्पोडेन्टस के मौखिक कथनो के आधार पर अपीलान्टस के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 17 व 18 गलत रूप से अपने पिता का नाम नारायणराम बता रही है जबकि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते

उनके पिता का नाम मालाराम है जो मूलतः ग्राम भूकरों का बास तहसील सीकर ग्रामीण की मूल निवासीगण है जिसके भामाशाह कार्ड की प्रति भी अपील के संलग्न की जा रही है। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय अपने सम्पूर्ण निर्णय में कही पर भी ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 17 व 18 का उक्त आराजियात पर कोई कब्जा, काश्त, हक अधिकार हो तथा न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 17 व 18 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिससे प्रमाणित होता हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 17 व 18 का वादग्रस्त आराजियात पर कोई कब्जा, काश्त हक अधिकार हो। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्टस के पिता की मृत्यु हो चुकी है अब अपीलान्टस को विरासत में जो हक हिस्सा जरिए विरासतन प्राप्त होना चाहिए था उक्त स्थगन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट नामांतकरण नहीं करने दे रहे है इसलिए स्थगन प्रार्थना–पत्र पर दिये आदेश दिनांक 24.07.2023 में विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर पारित आदेश होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित कर दिय पक्षकारन के पिता स्व. भींवाराम के नाम से एक व अपीलान्टस भाई नारायणराम के नाम से जो निर्वसीयत व नाऔलाद फौत होने पर आज भी वादग्रस्त आराजियात दर्ज चली आ रही है जिनका नामांतकरण दर्ज नहीं हुआ है जिसका नामांतकरण प्रार्थीगण के नाम व उनके भाई रामेश्वर व रामलाल के नाम दर्ज होना चाहिए था जिसको नजदअंदाज करते हुए विचारण न्यायालय ने बिना सोचे समझे ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को अनदेखा करते हुए जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण/अपीलान्टस का हिन्दू विधि के अनुसार विरासतन नोशनल अधिकार है जिसके अनुसार वह अपने हक हिस्से पर काबिज है। विचारण न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में आदेश 39 नियम 3 व 4 का कोई विधि सम्मत निर्णय पारित नहीं किया है जल्दबाजी में उसने आदेशिका में ही उक्त आवेदन को निराधार मानकर खारिज किया है इसलिए विचारण न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बगैर ही उक्त निर्णय पारित किया है। अप्रार्थीगण संख्या 17 व 18 ने कही पर भी इस आशय का कोई कथन नहीं किया है कि प्रार्थीगण स्व. भींवाराम के प्रथम श्रेणी के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

वारिस नहीं है फिर भी विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध मानते हुए जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण के विवादित भूमि में किसी प्रकार के स्वत्व प्रमाणित नहीं है और न ही भूमि पर कब्जा प्रमाणित है। जहां तक विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे का प्रश्न है, विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। जमाबंदी संवत 2074–2077 में भूमि 533 रकबा 4.27 हैक्टेयर, 534 रकबा 2.97 हैक्टेयर वाके ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व नाराना पुत्र भींवा के पक्ष में है तथा खसरा नम्बर 482 रकबा 5.68 हैक्टेयर वाके ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01, 02, 11, 12 व नारायण पुत्र भींवा के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने खातेदारी व कब्जा प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन धारा 212 विचाराधीन निर्णय से खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के विवादित भूमि में किसी प्रकार के स्वत्व प्रमाणित नहीं है और न ही भूमि पर कब्जा प्रमाणित है। जहां तक विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे का प्रश्न है, विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। जमाबंदी संवत 2074–2077 में भूमि 533 रकबा 4.27 हैक्टेयर, 534 रकबा 2.97 हैक्टेयर वाके ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व नाराना पुत्र भींवा के पक्ष में है तथा खसरा नम्बर 482 रकबा 5.68 हैक्टेयर वाके ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 01, 02, 11, 12 व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

नारायण पुत्र भींवा के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने खातेदारी व कब्जा प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन धारा 212 विचाराधीन निर्णय से खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर